न्यायालय द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश उत्पाद
रोहतास, सासाराम

दावथ थाना काण्ड सं. 30 / 2020

अशोक सिंह .....आवेदक / अभियुक्त

बनाम

बिहार सरकार.....विपक्षी / अभियोजन पक्ष

धारा 438 द.प्र.संहिता

15.07.2020 आवेदक अशोक सिंह पिता स्व. बिहारी सिंह ग्राम. कड़सर थाना नवानगर (सोनवर्षा)जिला बक्सर की ओर से दिनांक 29.01.2020 को दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 438द.प्र.संहिता पर सुनवाई पश्चात आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का अभिकथन है कि इस वाद के सूचक द्वारा आवेदक के विरूद्ध धारा 30(क) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के अन्तर्गत दावथ थाना काण्ड सं. 30 / 2020 के रूप में प्राथमिकी दर्ज कराया गया है जिसमें आवेदक को भय है कि पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार किया जा सकता है और उस गिरफ्तारी के भय से आवेदक द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 438 द.प्र.संहिता में दाखिल किया गया है तथा अग्रिम जमानत आवेदन की प्रति पूर्व में ही विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद रोहतास सासाराम श्री रामेश्वर प्रसाद को प्रदान किया जा चुका है।

संक्षेप में अभियोजन का मामला सूचक पु.अ.नि. शशि भूषण प्रसाद थानाध्यक्ष दावथ के स्वलिखित आवेदन के आधार पर यह है कि सूचक दिनांक 04.03.2020 को समय करीब 23.30बजे साथ में पु.अ.नि. विजय शंकर चौधरी एवं राकेश कुमार सिंह तथा अन्य शस्त्र बल के साथ विशेष छापामारी हेतु थाना से प्रस्थान किया तथा दिनांक 05.03.2020 को कोआथ में था तो समय करीब 01.00बजे प्रातः में गोंपनीय सूचना मिली कि विनय यादव पिता राजेन्द्र यादव सा. झलखोरिया थाना दावथ जिला रोहतास अपने सहयोगी अशोक सिंह पिता स्व. बिहारी सिंह सा. कड़सर थाना नवानगर (सोनवर्षा) जिला बक्सर एवं अन्य चार पांच सहयोगी के साथ मिलकर ग्राम झलखोरिया में बने काली मंदिर के बगल खेत में बने अपने खलिहान में ट्रक से अवैध शराब उतरवा रहा है। अशोक सिंह बड़ा माफिया है जिसपर कई केश दर्ज है। उक्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचक वरीय पदाधिकारी को सूचित करते हुए सूचक साथ के पुलिस पदाधिकारी एवं सशस्त्र बल एवं रात्रि गस्ती के पु.अ.नि. राजनाथ राम के साथ समय करीब 01.30बजे पूर्वाहन में झालखोरिया काली मंदिर के पास पहुंचा तथा खोजबीन शुरू किया तो अन्दर के तरफ जाने पर खेत में बने खलिहान में रखे पुआल के पुंज के बगल में एक ट्रक खड़ा था। वहां पर लम्बा दूरी तक कई पुआल पुंज था। ट्रक पर कुछ कार्टुन रखा हुआ था तथा कुछ कार्टुन ट्रक के बगल में जमीन पर खलिहान में रखा हुआ था। रात्रि एवं अंधेरे का लाभ उठाकर वहां पर उपस्थित व्यक्ति भागने में सफल हो गये। तलाशी में सहयोग देने हेतु थोड़ी दूर पर बने घर वालों को जगाकर तलाशी में सहयोग देने का अनुरोध करने पर कोई व्यक्ति सहयोग देने के लिए तैयार नहीं हुए। स्थानीय जन प्रतिनिधि को भी बुलाने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं हुए। तब वहां उपस्थित जवान हवलदार देव नारायण यादव एवं सिपाही कन्हैया कुमार के समक्ष तलाशी के नियमों का पालन करते हुए ट्रक सं. यू.पी.14एच.टी.–5947का विधिवत तलाशी लेने पर ट्रक पर शराब का 154 कार्टून तथा ट्रक के बगल में सटे खलिहान में शराब का 300 कार्टून बरामद किया गया। सभी कार्टून ब्राउन रंग का जिसमें क्रेजी रोमियों व्हिस्की अंग्रेजी शराब था। कुल शराब का 454कार्टून बरामद किया गया। प्रत्येक कार्टून में 48बोतल कुल 21792बोतल, प्रत्येक बोतल 180एम.एल. का कुल 3922.56लीटर अवैध शराब बरामद किया गया। सभी बरामद शराब एवं ट्रक को विधिवत जब्त कर जब्ती सूची बनाया गया जिसपर दोनों साक्षियों द्वारा स्वेच्छा से अपना अपना हस्ताक्षर बनाया गया। कोई भी दावेदार उपस्थित नहीं हुए जिसके कारण जब्ती सूची की प्रति नहीं दी गयी। गोपनीय रूप से पता करने पर पता चला कि जिस खलिहान में शराब उतारा जा रहा था वह विनय यादव का है। विनय यादव पर पूर्व से भी शराब का काण्ड है। अशोक सिंह पर कोई शराब काण्ड अंकित नहीं है। इस प्रकार अवैध शराब का कारोबार करना एक संज्ञेय अपराध है जिसके आधार पर आरोपित करते हुए यह काण्ड विजय यादव पिता राजेन्द्र यादव सा. झलखोरिया थाना दावथ जिला रोहतास, अशोक सिंह पिता स्व. बिहारी सिंह सा. कड़सर थाना नवानगर (सोनवर्षा) जिला बक्सर, ट्रक सं. यू.पी.14एच.टी.–5947 के चालक एवं मालिक एवं चार–पॉच अज्ञात के विरूद्ध अंकित किया गया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का अभिकथन है कि आवेदक निर्दोष है, उसके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है तथा घटनास्थल पर कोई भी घटना घटित नहीं हुई है। सम्पूर्ण अभियोजन कथन बनावटी, निराधार एवं मिथ्या है तथा गांव की गंदी ग्रामीण राजनीति के कारण उसे इस वाद में झूठा फंसाया गया है। समाज में यह कुरीतियां व्याप्त है कि यदि किसी व्यक्ति से बदला लेना हो या उसे

लगातार

15.07.2020 हैरान एवं परेशान करना हो या उसे तंग तबाह करना हो तो उत्पाद अधिनियम के तहत आसानी से फंसा दिया जाए। विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि आरोपित आरोप आवेदक के विरूद्ध लागू नहीं होता है क्योंकि आवेदक न तो शराब का सेवन करता है और न ही उसके द्वारा शराब का निर्माण या व्यवसाय या परिवहन किया जाता है। उसके भौतिक कब्जा से उत्पाद संबंधी कोई मादक पदार्थ बरामद नहीं किया गया है तथा जब्ती सूची के अनुसार बरामद जब्त ट्रक एवं शराब से आवेदक का कोई संबंध नहीं है।जब्ती सूची विधि पूर्वक तैयार नहीं किया गया है एवं जब्ती सूची के सभी गवाह पुलिस कर्मी है तथा धारा 100द.प्र.संहिता का अनुपालन नहीं कया गया है। विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि प्राथमिकी से यह स्पष्ट है कि जब्त शराब एवं ट्रक विनय यादव के खलिहान से बरामद किया गया है जबकि उक्त खलिहान विनय यादव का नहीं है। यह भी कथन है कि आवेदक के विरूद्ध कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और बिना किसी विधिक साक्ष्य के उसके विरूद्ध यह मामला दर्ज किया गया है। आवेदक न्यायालय के आदेशानुसार बंध पत्र एवं धारा 438 (2)में विहित शर्त्तो का अनुपालन करने हेतु तैयार है। अतः आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाए।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक उत्पाद रोहतास द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुए इसे अस्वीकृत किये जाने का अनुरोध इस आशय के साथ करते है कि प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन धारा 76(2) बिहार मद्य निषेध एवं संशोधित उत्पाद अधिनियम 2018 के प्रावधानों से बाधित होने के कारण पोषणीय नहीं है।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभियोजन कथन एवं जब्ती सूची के अनुसार आवेदक प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त है तथा आवेदक के विरूद्ध दावथ थानान्तर्गत ग्राम झलखोरिया में स्थित काली मंदिर से उत्तर–पश्चिम कोना में लगभग 200–300मीटर दूर स्थित खेत में बने विनय यादव पिता राजेन्द्र यादव के खलिहान से ट्रक सं. यू.पी.14एच.टी.–5947 में रखे 454कार्टून से कुल 21792बोतल, प्रत्येक बोतल 180एम.एल. का कुल 3922.56लीटर अवैध अंग्रेजी शराब बरामद किये जाने का आरोप है। इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि पूरे बिहार राज्य में पूर्ण शराब बंदी कानून लागू होने के बाद भी आवेदक द्वारा अवैध रूप से शराब का व्यवसाय एवं परिवहन किया जाता है। इसके अतिरिक्त आवेदक के विद्वान अधिवक्ता अधिवक्ता बहस के दौरान यह दर्शाने में भी असफल रहे है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट (F.I.R) में लगाये गये आरोप से आवेदक के विरूद्ध कथित अपराध सृजन हेतु आवश्यक तत्व मौजूद नहीं है।

उपरोक्त वर्णित सभी तथ्यों, परिस्थितियों वाद की प्रकृति एवं उसकी गम्भीरता तथा बरामद शराब की मात्रा (3922.56लीटर अवैध अंग्रेजी) एवं आवेदक के विरूद्ध लगाये गये आरोप तथा उत्पाद अधिनियम के तहत किये गये अपराध के लिये धारा 76(2) बिहार मद्य निषेध एवं संशोधित उत्पाद अधिनियम 2018 के अन्तर्गत अग्रिम जमानत की पोषणीयता पर विचार करते हुये यह न्यायालय आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का पर्याप्त आधार नहीं पाती है। तदनुसार आवेदक की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन दिनांक 29.06.2020 को **अस्वीकृत** किया जाता है।

(लेखापित)

द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह
विशेष न्यायाधीश उत्पाद, रोहतास, सासाराम